

Letter No. :NGT-261/81-7-2020-43(Parya)/2014 T.C.-3

From;

Bharat Prasad,
Under Secretary,
Department of Environment Forest &
Climate Change, Government of Uttar Pradesh

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

**Environment, Forest &
Climate Change Section-7**

Lucknow : Dated : 11 /06/2020

Sub: Compliance Report of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh in pursuant to the order dated 15-11-2019 in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.


Sir,

In compliance of order dated 15-11-2019 passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, the compliance report of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh is enclosed herewith.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,



(Bharat Prasad)

Under Secretary

Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 15-11-2019 in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.

1. That undersigned has submitted the Compliance report of Order dated 15.11.2019 passed in the captioned matter on 04.02.2020 stating the progress regarding works related to remediation of chromium contaminated site at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, preparation of Action Plan for Restoration of Environment and Public Health at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, Health Survey in affected areas, Recovery of Environmental Compensation from units responsible for pollution due to Chromium Dump in Rania, Potable Water Supply for the residents of affected areas etc. That further progress made by the State in compliance of the directions of Hon'ble Tribunal is being filed herewith before Hon'ble Tribunal.
2. That Regarding disposal of chromium waste at Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat, a meeting was held under Chairmanship of Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development, Government of U.P. on 15-01-2020 and the following decisions were taken :
 - a) In the DPR prepared by Central Pollution Control Board (CPCB) for remediation of Dump Site in Rania, in-situ disposal and capping of chromium contaminated waste and soil is proposed but the cost of land has not been incorporated in the DPR. Therefore, the in-situ disposal is not economically viable and will also require more time.
 - b) Shifting of waste to operational Treatment, Storage & Disposal Facilities (TSDFs) of Uttar Pradesh, which are



situated approximately 18 km away from the contaminated storage site in Rania, is more economical option.

- c) Action should be taken in phased manner. In first phase, tenders may be invited for lifting and disposal of illegally dumped Chromium Waste as per the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 through Treatment, Storage & Disposal Facilities (TSDFs).
- d) Later on in second phase, disposal of contaminated soil and remediation of contaminated ground water should be taken up.

The copy of Minutes of Meeting dated 15.01.2020 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.- 1**.

3. That the Infrastructure & Industrial Development Department, U.P. has nominated UP State Industrial Development Authority (UPSIDA) as nodal agency for the execution of work.
4. That Government of Uttar Pradesh has formed a Technical Advisory Committee vide Government Order Dated 02 March, 2020 under the chairmanship of Secretary, Environment, Forest and Climate Change, U.P. and comprising of the officers of CPCB, UPPCB, UPSIDA, Public Works Department (PWD), Medical & Health Department and Irrigation & Water Resources Department. A district Level Monitoring Committee has also been constituted for monitoring of execution of work as per the provisions of the DPR under the Chairmanship of District Magistrate, Kanpur Dehat and comprising of officers from UPSIDA, UPPCB, CPCB, PWD, UP Jal Nigam, Medical & Health and Irrigation & Water Resources Departments. Copy of the said Government Order dated 02 March, 2020 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.- 2**.
5. That the meetings of Technical Advisory Committee were held on 20.03.2020 and 14.05.2020. The Technical Committee has



approved the Bid Document presented by UPSIDA. The minutes of meeting are enclosed herewith and marked as **Annexure Nos.- 3 & 4.**

6. That UPSIDA has invited e-tenders for disposal of chromium waste dumped near Village Khanchandpur, Rania and tender notice has been published in the news papers on 16.05.2020. The copy of the tender notice publication is enclosed herewith and marked as **Annexure No.- 5.**
7. That the ESCROW account has been opened by District Magistrate Kanpur Dehat, for deposition of funds to be utilized in restoration of the environment and the public health. State Government has transferred amount of Rs 23.44 Crore to the ESCROW account on 27.03.2020.
8. That the work related to finalization of DPR, technical evaluation of DPR, bidding etc. got hampered due to lockdown in view of COVID-19 pandemic. Therefore, the delay caused owing to this is requested to be condoned. The work will be started as soon as the tenders are approved.
9. That a project of Rs. 46.59 Lac was sanctioned by the Government on 22.10.2019 for Piped Water Supply (PWS) to the residents of affected area of Rakhi Mandi, Kanpur Nagar. That the works related to this project got completed and PWS was commissioned on 15.01.2020. Safe Water Supply through PWS is being provided since then continuously to inhabitants of the affected area through 2510 meter pipe line and 225 household connections.
10. That a project of Rs. 298.46 Lac was sanctioned by the Government on 30.12.2019 for supply of safe water to the residents of village Khanchandpur, Rania in district Kanpur Dehat. The works related to this project include two tube wells, piped distribution system of length 14.83 km, one overhead tank of 50 kilo litre/12 meter staging capacity and 500



household connections for supply of safe water. The work of both tube wells is under progress and 5 km distribution system has been laid down. Work progress has got adversely affected due to lockdown in view of Covid-19 pandemic. However, works have been restarted since 5th May 2020 and are expected to be completed and commissioned by December, 2020. The safe water supply to the affected areas by direct pumping of the tube well is proposed to be started by 15th July, 2020.

11. That Principal Secretary, Urban Development Government of Uttar Pradesh has issued an order for supply of water through tankers in Rania, Kanpur Dehat. Presently, supply of drinking water through 05 tankers is being done in Rania, Kanpur Dehat on daily basis by Executive Officer, Nagar Panchayat, Akbarpur.
12. That in compliance to the directions regarding health survey in affected areas, the Expert Committee constituted by Hon'ble Tribunal has submitted its preliminary assessment report after visiting the sites along with the methodology for Comprehensive Baseline Assessment and Mitigation Measures on 28-12-2019. Final report of Committee regarding Comprehensive Baseline Assessment and Mitigation Measures is awaited. Director, Medical & Health Services has informed vide his letter dated 18-01-2020 that in village Khanchandpur health camps were organized every Saturday and Sunday from 02-02-2020 to 14-03-2020. Director, Health has further informed vide letters dated 09 June, 2020 that although, the Medical Experts have been nominated for door to door survey in the affected areas, but due to COVID-19 lockdown, door to door survey could not be conducted. The door to door survey will be completed in a period of three months after lifting of the lockdown. The copy of letter dated 09 June, 2020 is enclosed herewith and marked as **Annexure No-6.**



13. That it is submitted that UP Pollution Control Board had imposed Environmental Compensation of Rs. 280.01 Crore against 06 defaulting industries on 19-11-2019 and Recovery Certificates (RCs) against the above 06 defaulting industries were issued as submitted in the previous compliance report. It is further submitted that the industries responsible for illegal dumping of chromium waste filed Original Application Nos. 18, 19, 20, 21 and 22 of 2020 before Hon'ble Tribunal for getting relief in the matter of imposition of environmental compensation against them by Uttar Pradesh Pollution Control Board. That Hon'ble Tribunal has disposed off all the connected cases vide its order dated 28.01.2020 with the following direction:-

"Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law".

That it is submitted that prior to imposition of environmental compensation upon the industries in question, the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has issued the Show Cause Notices to these industries dated 24.10.2019 whereby time of 15 days was allowed to said industries for submitting their reply but none of the said industries submitted their reply in the time specified in the Show Cause Notice issued by UPPCB. Therefore, the environmental compensation was imposed on 19.11.2019 against the industries in question. Thus the industries have obtained above order by concealing the facts before the Hon'ble Tribunal. The U.P. Pollution Control Board has filed an application for modification of order dated 28.01.2020. However,



the representations of said industries received by UPPCB in compliance to the order of Hon'ble Tribunal dated 28.01.2020, have been duly considered by UPPCB in interest of justice and the Environmental Compensation imposed earlier against these industries have been reconfirmed through reasoned order dated 28.05.2020 after considering their representations. The copies of the said orders dated 28.05.2020 are enclosed herewith and marked as **Annexure Nos.- 7, 8, 9,10 & 11.**

14. That it was submitted in the previous Compliance Report that UPPCB has formulated an Action Plan for implementation of directions of Hon'ble tribunal passed in the captioned matter and submitted it to Central Pollution Control Board (CPCB) for approval as directed by Hon'ble Tribunal. That it is further submitted that The CPCB has made certain observations with regards to the Action Plan and sent it to UPPCB vide letter dated 11.03.2020. UPPCB has modified Action Plan as per the suggestions of CPCB and modified action plan has been sent by UPPCB to CPCB vide letter dated 05.06.2020 for approval. The copy of the said letter of UPPCB dated 05.06.2020 along with the modified Action Plan is enclosed herewith and marked as **Annexure Nos.-12.**
15. That it is submitted that Government of Uttar Pradesh is committed, towards maintaining the water quality & flow of river Ganga and for ensuring compliance of orders of Hon'ble Tribunal.

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW

DATED: 11-06-2020



(Rajendra Kumar Tiwari)
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh

श्री० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-९९६/२०१९ In Re: Water Pollution at Kania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, UP में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०१९ के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक १५.०१.२०२० को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम यह अवगत कराया गया कि खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात में भण्डारित कोमियम वेस्ट के उचित ढंग से निस्तारण के संबंध में श्री० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक १५.११.१९ के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में मुख्य रूप से उक्त क्षेत्र में निम्न ०३ कार्य किए जाने हैं:-

- (१) अभियंत्रित रूप से भण्डारित कोमियम वेस्ट को हटाए जाने एवं स्टैब्लाइज कर सुरक्षित ढंग से निस्तारित किया जाना।
- (२) उक्त क्षेत्र में कोमियम वेस्ट के कारण प्रदूषित मृदा की खुदाई कर सुरक्षित ढंग से निस्तारित किया जाना।
- (३) उक्त क्षेत्र में प्रदूषित भू-जल के रिमिडियेशन की कार्यवाही किया जाना।

२. कोमियम वेस्ट को हटाकर स्टैब्लाइज किए जाने हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार कराई गई डी.पी.आर. के अनुसार उक्त वेस्ट का इन सीटू सिक्वोर्ड लैण्डफिल तैयार कर स्टैब्लाइजेशन के बाद निस्तारण किए जाने के विकल्प पर चर्चा की गयी। इस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि सी.पी.सी.बी. द्वारा तैयार करायी गयी डी.पी.आर. में इन सीटू एस.एल.एफ. हेतु आवश्यक भूमि की लागत सम्मिलित नहीं की गयी है एवं इस कार्य में डी.पी.आर. के अनुसार लगभग ₹० १०२ करोड़ ₹० की लागत अनुमानित है। प्रभावित क्षेत्र की भूमि अधिग्रहीत किए जाने पर इसकी लागत और अधिक हो जाएगी एवं भूमि अधिग्रहण में समय भी लगेगा।

३. प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक ०७.०१.२०२० को हुई बैठक में प्रदेश में संचालित ०२ टी.एस.डी.एफ. ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे, जिनके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि प्रभावित क्षेत्र से लगभग १८ कि०मी० दूर ०२ टी.एस.डी.एफ. ऑपरेटर्स मैसर्स यूपी. वेस्ट मैनेजमेंट

६

प्रोजेक्ट एवं मैसर्स भारत ऑयल वेस्ट मैनेजमेंट कुम्भी, कानपुर बेहात स्थित है, जहाँ पर प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाईयों से जनित हैर्जाडिस वेस्ट लाकर स्टैब्लाइजेशन उपरान्त सिक्वोर्ड लैण्डफिल में निस्तारित किया जाता है। उक्त दोनों संस्थाओं को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त हैं।

उक्त बैठक में यू.पी. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट द्वारा प्रश्नगत स्थल से वेस्ट उठाकर स्टैब्लाइजेशन के उपरान्त टी.एस.डी.एफ. में निस्तारित करने की अनुमानित लागत रू० 7000/- प्रति टन बताई गयी थी तथा मैसर्स भारत ऑयल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट द्वारा अनुमानित लागत रू० 4000/- प्रति टन सूचित की गयी थी। इस प्रकार उक्त संस्थाओं के माध्यम से पूर्व में विकसित टी.एस.डी.एफ. में वेस्ट को निस्तारित करने में लागत व समय की बचत हो सकेगी। क्रोमियम वेस्ट को प्राधिकृत संस्था द्वारा निस्तारित किए जाने के संबंध में दिनांक 7.01.2020 की बैठक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के उपस्थित प्रतिनिधि श्री विनोद बाबू द्वारा सहमति व्यक्त की गयी थी तथा यह विकल्प केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार डी०पी०आर० में भी दिया गया है।

बर्चा में मुख्य पर्यावरण अधिकारी, यू.पी.पी.सी.बी. ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में ये दो ही प्राधिकार प्राप्त संस्थाएं कार्यरत हैं।

4. क्रोमियम हैर्जाडिस वेस्ट को टी०एस०डी०एफ० संस्थाओं के माध्यम से सील्ड निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त कर निस्तारित कराए जाने के विकल्प के अनुसार मितव्ययिता के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने पर बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा यह कहा गया कि उक्त टी०एस०डी०एफ० इकाईयों की उपलब्ध क्षमता का आकलन भी करा लिया जाना उचित होगा तथा परिसंकटमय अपशिष्ट का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार डी०पी०आर० में निर्धारित एस०ओ०पी० के आधार पर निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कहा गया कि प्रथम चरण में क्रोमियम वेस्ट को समयबद्ध रूप से प्रश्नगत स्थल से उठाकर सुरक्षित रूप निस्तारित कराया जाए। तदुपरान्त प्रदूषित मृदा के निस्तारण एवं भू-जल रिमिडियेशन के निस्तारण के संबंध में द्वितीय चरण में विचार किया जाएगा।

5. उक्त कार्य का स्कोप आफ वर्क को तैयार करने तथा तकनीकी पर्यवेक्षण का कार्य मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2019 को हुई बैठक में गठित अनुश्रवण समितियों, जिसमें

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, द्वारा किया जाएगा।

6. बैठक में उपस्थित एस.डी.एम., अकबरपुर, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा संचालित किए जाने वाले एस्को एकाउण्ट को खुलवाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि एस्को एकाउण्ट खुलने के पश्चात शासन से स्वीकृत धनराशि एस्को एकाउण्ट में ड्रॉसफर कराकर अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की जाए।

उक्त के साथ बैठक सधन्यता समाप्त हुई।

आशीष तिवारी
सदस्य सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या- 169 / 77-4-20
लखनऊ-दिनांक: 20 जनवरी, 2020

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
 2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
 3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र० शासन।
 4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडी, ए-1/4, लखनपुर, कानपुर।
 5. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
 6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
 7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-NQT-42/81-7-2020-44(रिट)/2016 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 02 फरवरी, 2020
गांधी

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा OA No.-985/2019 with 986/2019 In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur UP with In Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, UP में पारित आदेश दिनांक 22.08.2019 एवं 13.11.2019 द्वारा जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत खानचंद्रपुर रनिया में कई वर्ष पूर्व से डम्प किये गये क्रोमियम हैजार्डस वेस्ट का निस्तारण एवं कन्टीमेनेटेड स्वायल को एस0एल0एफ0 में डालना एवं उसकी कैपिंग तथा दूषित भूगर्भीय जल का रेमिडियेशन का कार्य किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 29.11.2019 एवं 29.01.2020 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में डम्प क्रोमियम हैजार्डस वेस्ट के निस्तारण एवं कन्टीमेनेटेड स्वायल को एस0एल0एफ0 में डालने एवं उसकी कैपिंग तथा दूषित भूगर्भीय जल के रेमिडियेशन की कार्ययोजना का क्रियान्वयन अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा किये जाने हेतु राज्य स्तर पर तकनीकी सलाह के लिये निम्नानुसार तकनीकी सलाहकार समिति गठित की जाती है :-

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन | -अध्यक्ष |
| 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा नामित अधिकारी | -सदस्य |
| 3. अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी | -सदस्य |
| 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मुख्य अभियंता स्तर का नामित अधिकारी | -सदस्य |
| 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मुख्य अभियंता स्तर का नामित अधिकारी | -सदस्य |
| 6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी | -सदस्य |
| 7. महाप्रबंधक (अभियंत्रण), उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर | -सदस्य
संयोजक |

उक्त तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सलटेन्ट (पी0एम0सी0) का चयन तथा पी0एम0सी0 के माध्यम से टेक्निकल विड डाक्यूमेंट तैयार कराने तथा क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण आदि संबंधी कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

2- उक्त के संबंध में जिला स्तर पर कार्य योजना के अनुसार कार्यों की प्रगति के अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात | -अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी | -सदस्य |
| 3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात | -सदस्य |
| 4. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात | -सदस्य |
| 5. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कानपुर देहात | -सदस्य |
| 6. अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर देहात | -सदस्य |

7. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात -सदस्य
8. अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर -सदस्य
संयोजक


उक्त अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक माह प्रगति आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या-NGT-42/81-7-2020-44(रिट)/2016 टी०सी०, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/नगर विकास/लोक निर्माण/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 3- सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- महाप्रबंधक (अभियंत्रण), उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर।
- 6- जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
- 7- क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
- 9- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात।
- 10- अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/उ०प्र० जल निगम, कानपुर देहात।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाध)
अनु सचिव।

मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण में योजित ओ०प्र० संख्या 985/2019 with 986/2019 Disposal/Remediation of Hazardous (Chromium) Waste dumped, near Vill Khanchandpur, Rania Distt. Kanpur Dehat के निस्तारण हेतु दिनांक 20.03.2020 को सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त-

सर्वप्रथम समिति के संयोजक द्वारा उक्त प्रकरण में हुई महत्वपूर्ण बैठकों एवं उसमें हुए निर्णयों से निम्नानुसार अवगत कराया गया-

- I. दिनांक 15.01.2020 को प्रमुख सचिव (औद्योगिक विकास) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त पत्र सं० औद्योगिक अनुभाग-4-169/77-4-20 दिनांक 20.01.2020 के अनुसार मुख्य रूप से उक्त क्षेत्र में तीन कार्य किये जाने हैं :-
 1. अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट को हटाए जाने एवं स्टेबलाइज कर सुरक्षित ढंग से निस्तारित किया जाना।
 2. उक्त क्षेत्र में क्रोमियम वेस्ट के कारण प्रदूषित मृदा की खुदाई कर सुरक्षित ढंग से निस्तारित किया जाना।
 3. उक्त क्षेत्र में प्रदूषित भू-जल के रिमिडियेशन की कार्यवाही किया जाना।
- II. इसी कार्यवृत्त के पृष्ठ 2 बिन्दु संख्या 4 के अनुसार :-

"क्रोमियम हेराल्डस वेस्ट को T.S.D.F. संस्थाओं के माध्यम से सील्ड निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त कर निस्तारित कराये जाने के विकल्प के अनुसार मितव्ययिता के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने पर बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।"

"..... प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कहा गया कि प्रथम चरण में क्रोमियम वेस्ट को समयबद्ध रूप से प्रश्नगत स्थल से उठवाकर सुरक्षित रूप निस्तारित कराया जाए। तदोपरान्त प्रदूषित मृदा के निस्तारण एवं भू-जल रिमिडियेशन के निस्तारण के सम्बन्ध में द्वितीय चरण में विचार किया जाएगा।"

- III. दिनांक 29.01.2020 को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त पत्र संख्या एनजीटी-93/81-7-2020-43 (पर्या)/2014टी.सी० दिनांक 05.02.2020 के अनुसार क्रोमियम डम्प के समुचित निस्तारण हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-
 1. "कार्य के त्वरित सम्पादन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर उसमें सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को अध्यक्ष नामित किया जाय तथा समिति के सम्बन्धित

(सचिव पर्यावरण)

11

*D. Madhusudan
Director Health*

*R.V.L.
CRIC (M)
CPHS*

(UPPWS)

*S. GHANSA
GM-EISB
UPSIDA*

*KON
S. Ghansha
GM-EISB
UPSIDA*

विभागों के प्रतिनिधियों को शीघ्रता से नामित कराते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जाए।"

2. "मा० एन०जी०टी० द्वारा दिनांक 15.11.2019 को पारित आदेश को संसमय अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रथम चरण में क्रोमियम वेस्ट को उठाकर कॉमन फैसिलिटी (T.S.D.F.) में निस्तारित कराये जाने की कार्यवाही की जाए। इस हेतु ओपेन टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें प्राप्त कर संस्था का चुनाव शीघ्रता से करा लिया जाए। टेण्डर डाक्यूमेन्ट तैयार कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही राज्य स्तर पर गठित समिति के माध्यम से शीघ्रता से पूर्ण करा ली जाये तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिस परामर्शी से डी०पी०आर० तैयार करायी गयी है, टेण्डर डाक्यूमेन्ट तैयार कराने में उक्त परामर्शी का सहयोग प्राप्त कर लिया जाये। यू०पी०सी०डा० द्वारा टेण्डर डाक्यूमेन्ट तैयार किये जाने हेतु आवश्यक यथोचित व्यय भी वहन किया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में उपरोक्त कार्यवाहियों सुनिश्चित करायी जायें।"

उपरोक्तानुसार हुए निर्णय के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डी०पी०आर० तैयार करने वाले परामर्शी मैसर्स ई०आर०एम० कन्सल्टेंट, गुडगांव से टेक्निकल बिड डाक्यूमेन्ट तैयार कराया गया है। अतः पृथक से प्रथम चरण के कार्य हेतु पी०एम०सी० चयन करने की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

प्रश्नगत टेक्निकल बिड डाक्यूमेन्ट में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं यूपीसीडा के अधिकारियों के साथ तकनीकी बिन्दुओं पर आंशिक संशोधन उपरान्त यूपीसीडा को उपलब्ध कराया जाय।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी०पी०आर० में दिये गये विवरण के अनुसार कुल लगभग 377*12 क्यूबिक मीटर क्रोमियम वेस्ट की खुदाई एवं उसके ट्रीटमेंट के आइटम लिये गये हैं, जिसकी density 1650 Kg/m³ लेते हुए आंकलित 62,225 मी० टन क्रोमियम वेस्ट समुचित ढंग से निस्तारित किया जाना है।

समिति द्वारा पूर्व में मुख्य सचिव महोदय की वेदक में लिये गये निर्णय के अनुरूप क्रोमियम वेस्ट को T.S.D.F में नियमानुसार निस्तारित कराये जाने के चिक्ल्प को संज्ञान में लेते हुए उस पर चर्चा की गयी। चर्चा में यह तथ्य उभर कर आया कि प्रस्तुत डी०पी०आर० में वेस्ट के ट्रीटमेंट हेतु SOP तो दी गयी है, किन्तु वेस्ट में क्रोमियम की मात्रा Variable होने के कारण ट्रीटमेंट में लगने वाले केमिकल्स की मात्रा का वास्तविक आंकलन नहीं दिया गया है। अतः पूर्ण कार्य को सिंगल आइटम के रूप में किया जाना प्रियकर होगा, किन्तु किये गये कार्य का भुगतान वास्तविक मात्रा/कार्य के आधार पर ही किया जाये। वास्तविक कार्य की Quality/Quantity का मापन /प्रमाणन जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा। अतः कार्य के प्रत्येक चरण यथा-

21

[Signature]
Director health
13

[Signature]
RVL (L)
CRK
(UP000)

[Signature]
S. Chandra
GM-EGG
UPSIDA

[Signature]
[Illegible]

- i- Excavation
- ii- Transportation to TSDF site.
- iii- Storage before treatment.
- iv- Treatment as per Hazardous Waste (Management & Trans boundary movement) Rules-2016
- v- Scientific disposal of Hazardous waste

को comprehensively एक आइटम मानते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना तय हुआ। उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 के अनुसार खानचन्दपुर रनियाँ में डम्प कॉमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 62,225 मी0टन आंकलित है। अनुमानित तौर पर T.S.D.F. संस्थाओं द्वारा प्रयोग किये जा रहे ट्रक की क्षमता 7-10 टन तक होती है। जिससे ज्ञात होता है कि 6300 से 9000 ट्रक तक कॉमियम वेस्ट का निस्तारण करना होगा। ऐसे में प्रतिदिन यदि 50 ट्रक का अनुमान लगाया जाए तो 125 दिन से 180 दिन की कार्य अवधि होगी तदनुसार परियोजना की कार्य अवधि 200 दिन निर्धारित की जा सकती है।

महाप्रबन्धक (अभियंत्रण) यूपीसीडा द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में कार्य हेतु शासन से रु0 23.44 करोड़ की एक निधि Escrow Account में जिलाधिकारी, कानपुर देहात के अधीन की गई है जिससे इस कार्य का भुगतान होना प्रस्तावित है, यदि कार्य सम्पादन की वास्तविक निविदित धनराशि इससे अधिक आती है तो प्रथम चरण को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि की माँग/व्यवस्था शासन से किये जाने की आवश्यकता होगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी एक TSDF की भण्डारण क्षमता अथवा निर्धारित समयावधि में कार्य को पूर्ण कराने की क्षमता के दृष्टिगत निविदित कार्य को एक से अधिक T.S.D.F. संस्थाओं में विभक्त भी किया जा सकता है।


(संजय सिंह)
सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0प्र0 शासन।

PK (20/10/20)

PK (20/10/20)

S. CHANDRA
G.M. - Env
UPS/DA.

Director health

अस
अस

अस
अस

Annexure - 4


मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 985/2019 with 986/2019 Disposal/Remediation of Hazardous (Chromium) Waste dumped, near Vill Khanchandpur, Rania Distt. Kanpur Dehat के निस्तारण हेतु दिनांक 14.05.2020 को सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त-


सर्वप्रथम समिति के संयोजक द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 20.03.2020 को हुई बैठक में हुए निर्णयों के अनुपालन में टेक्निकल बिड डाक्यूमेन्ट समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत हुए लाकडाउन के कारण पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। समिति द्वारा टेक्निकल बिड डाक्यूमेन्ट के बिन्दुओं पर चर्चा कर सम्यक विचारोपसन्त निम्न निर्णय लिया गया:-

समिति द्वारा तकनीकी बिन्दुओं पर टेक्निकल बिड डाक्यूमेन्ट का परीक्षण करते हुए सर्वसम्मति से उक्त टेक्निकल बिड डाक्यूमेन्ट का तकनीकी अनुमोदन किया गया। यूपीसीडा इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करे।



(संजय सिंह)
सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0प्र0 शासन।


(R.K. Singh)
CPCB


P. D. Sharma
UPCB


S. GANDAA
GM (Eggs)
UPS/DA


Gy
(Anurag Singh)


J. Singh
PWD


S. Singh
Director Health

have to wait, catch a truck or start walking home," he said.

Full report on www.toi.in

could also be seen in the context of the Oil government's dependence on China.

T.O. 9-16/5/20 N.C.R. EDITION



कार्यालय महाप्रबन्धक (अभियंत्रण)
उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ए-1/4, लखनपुर, कानपुर

ई-निविदा सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि जनपद-कानपुर देहात में "Disposal of Chromium Waste Dumped Near Village Khanchandpur, Rania में ₹0 34.23 करोड़ धनराशि के कार्यों हेतु इच्छुक फर्म/निविदाकार, जिनके पास "Authorization from Govt. to operate under Hazardous waste Management and Trans boundary movement Rule-2016" प्राप्त हो, से ई-निविदाये आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा दिनांक 27.05.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 11.06.2020 को 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं। जिन्हें दिनांक 12.06.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा। निविदा की प्री-बिड मीटिंग दिनांक 20.05.2020 को अपरान्ह 12.30 बजे सभागार, मुख्यालय, ए-1/4, लखनपुर, कानपुर में आहूत की जाती है।

नोट:- निविदादाताओं/फर्मों द्वारा निविदा में अंकित की गई दरें बिना जी०एस०टी एवं अन्य करों के होंगी।

निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निगम की website: www.upsidc.com पर स्थित ई-लिंक एवं यूपीएलसी की website: <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (मु०)
उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, कानपुर



NORTH CENTRAL RAILWAY, PRAYAGRAJ

Tender Notice No.: DY-CE-C-II-JHS-2020-02 dated : 05.05.2020

1ST CORRIGENDUM

Tender Notice No. DY-CE-C-II-JHS-2020-02 dated : 12.05.2020

A pre bid meeting for the above work was advertised in tender notice, to be held on 21.05.2020 at 11.30 hrs. in Dy. CE/C/II/Jhansi office at Jhansi in view of continued disruption in restoration of normalcy in public transportation system in COVID 10 scenario. It is anticipated that prospective bidders may wish to attend the pre-bid meeting on scheduled date.

प्रेषक

निदेशक (स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
लखनऊ।

सेवा में,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन,
अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश शासन

पत्रांक: निदे०स्वा०/कैमा/2020/584

लखनऊ/दिनांक 09 जून, 2020

विषय:- ग्रा० एन०जी०टी० द्वारा GA No-985/2019 with 986/2019 in Re: Water Pollution by Tanneries at Jajman, Kanpur UP with IN Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar UP में पारित आदेश 16.11.19 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि गानगीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके विरलेपण की रिपोर्ट के आधार पर यह निश्चित किया गया था कि संज्ञित क्षेत्र में घर-घर सर्वेक्षण कराया जाये जिसके अनुसार एस्पीएम विभाग जी०एस०वी०एम० मेडिकल कॉलेज से डा० रमन जीत कोर, को नामित किया गया था परन्तु कोविड-19 महामारी से प्रदेश में लॉकडाउन हो जाने के कारण उपरोक्त कार्य नहीं हो पाया। पूर्व में आपसे ताकडाउन के उपरान्त 01 माह का समय मांगा गया था।

अभी कानपुर में प्रारिथितियां अनुकूल नहीं हैं इसलिए घर-घर सर्वेक्षण सम्भव नहीं हो पायेगा उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि इसके लिए 03 माह का अतिरिक्त समय देने की कृपा करें।

अतः आपके सज्जन में समझा चाहेंगे कि दिनांक 16 मार्च, 2020 तक स्वास्थ्य कैम्प लगाये गये थे, एवं गम्भीर मरीजों का उपचार चल रहा है।

भवदीय,

(निदेशक, स्वास्थ्य)

पत्रांक: निदे०स्वा०/कैमा/2020/585-588

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अर्पित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प०क० उ०प्र० शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क०, उ०प्र० शासन।
3. एम सचिव, चिकित्सा अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
4. हर्षक ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।

Jasrajat
(संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य)



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

844, फतेहपुर रोसनाई, रनियाँ,
कानपुर देहात

Annexure - 7

पत्रांक 1831/V-2/20

दिनांक 28/05/20

सेवा में,

मै0 वारिस केमिकल्स प्रा0लि0,
उमरन, रनियाँ,
कानपुर देहात।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-21/2020 वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मै0 वारिस केमिकल्स, द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के निस्तारण के सम्बंध में।

राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या- 985./2019 एवं 986./2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में संयुक्त समिति की संस्तुति के क्रम में उद्योग मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, उमरन रनियाँ, कानपुर देहात पर रुपये 46,67,80,837.50/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसे मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या- 21/2020 में चुनौती दी गयी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि ".....Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law....."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ता मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रत्यावेदन के माध्यम से बोर्ड के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता का संक्षिप्त कथन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-985-986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 में मा0 अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है एवं प्रत्यावेदनकर्ता ओ0ए0 संख्या-985-986/2019 में पक्षकार नहीं है, जिसके कारण उसके तथ्यों से वह परिचित नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 सम्बंधित व्यक्ति के संज्ञान में लाये बिना जारी किया गया है। वर्ष 1976 से क्रोमियम का उचित भण्डारण न होने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 985-986/2019 एवं ओ0ए0 संख्या 200/2014 में विभिन्न आदेश पारित किये गये। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा अपना उद्योग वर्ष 26.04.1993 में स्थापित किया गया जिसका संचालन 05.09.1994 से प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 07.02.2005 से बन्द कर दिया गया। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 में वर्णित संयुक्त समिति की संस्तुति, नोटिस दिनांक 24.10.2019, स्टेट रिव्यू कमेटी की प्रोसीडिंग दिनांक 17.10.2019, क्षेत्रीय अधिकारी का पत्र दिनांक 22.10.2019 की प्रति प्रत्यावेदनकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया एवं उसे कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। पूर्व प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता उद्योग पर लगभग 45000 मी0टन क्रोमियम वेस्ट के आधार पर जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित था। उद्योग वर्ष 2005 से बन्द है, वर्ष 2019 में उक्त हैजार्डस की मात्रा 62225 एम0टी0 दर्शाया जाना स्वयं में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत की वास्तविकता को दर्शाता है। बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की शक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है।

-2-

Scanned by CamScanner

-18-

ई द्वारा बिना अधिकारिता के कथित क्षतिपूर्ति पूर्वाग्रहण से ग्रसित होकर अधिरोपित की गयी है एवं यावेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व प्रश्नगत उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1517/आर-130/2019 दिनांक 24.11.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित हये जाने का तथ्य अंकित है तथा 15 दिन में उद्योग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

इससे पूर्व वर्ष-2009 में भी खानचन्दपुर रनियां, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले प्रश्नगत उद्योग सहित कुल 06 उद्योगों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी०टन के उचित निस्तारण हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। किन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के रेगिडिएशन हेतु अपने पत्र सं० B-29016/56(1)WM-I/NCEF(4)/2018/10340 दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से प्रेषित Detailed Project (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा लगभग 62,225 मी०टन आंकलित की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा रनियां, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्दपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम के कारण प्रदूषित हुआ पाया गया है। प्रश्नगत उद्योग जिसकी उत्पादन क्षमता 3.5 मी०टन प्रतिदिन थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट को असुरक्षित ढंग से प्रश्नगत क्षेत्र में भण्डारित/डम्प किया गया। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62,225 मी०टन में आपके उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार 16.67 प्रतिशत योगदान है।

प्रश्नगत उद्योग की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 में प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार्य किया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में क्रोमि कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाला उद्योग स्थापित व संचालित किया गया था एवं उक्त प्रत्यावेदन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार तथा कहां पर किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया गया है। खानचन्दपुर, रनियां क्षेत्र में कुल 06 क्रोमि कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाले उद्योग स्थापित होना एवं उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारित होना विवाद रहित है जिसका आंकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी०पी०आर० में स्पष्ट रूप से किया गया है।

उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर 17 में वर्ष-2009 में भी अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 का कथन किया गया है। उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर-17 में वर्ष - 2009 में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी०टन के आधार पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव सूचित है जबकि वास्तव में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी के माध्यम से तैयार कराई गयी डी०पी०आर० में उक्त भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62,225 मी०टन आंकलित है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ में दिनांक 07.08.2019 को आदेश परित किया गया कि ".....viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

मा0 न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन अध्यक्ष गौनीट्रिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ0ए0 सं0 /2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं-

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the t meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy Environmental Compensation to the istries which have caused and are causing damage to the environment."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-985/2019 एवं ओ0ए0 सं0 986/2019 में संक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक संक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, सद्धपुर एवं ग्राम-खानचन्दपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।" इसका उल्लेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0 5(2)/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 19.10.2019 द्वारा जारी कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं पोसापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में जारी की गयी गाईडलाईन जो निम्नवत् है, को संज्ञान में लेते हुए मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, उमरन, नियां, कानपुर देहात पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q is noticed or observed quantity (in tone) of hazardous or other wastes have not been managed in compliance with various provision of the Acts/Rules/Guidelines/Conditions of the authorisation/direction issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violation which have not caused environmental damage) ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes in disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party.	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not confirming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules.2008)	0.1	0.05

R = Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के आधार पर
रा दिनांक 19.11.2019 को प्रश्नगत उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 46,67,80,837.
(छियालिस करोड़, सटसठ लाख अस्सी हजार आठ सौ सैतीस रूपये पचास पैसे मात्र) में परिवर्तन
अपास्त किये जाने का आधार नहीं है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 उपरोक्तानुसार
रत किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उद्योग मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा०लि०, उमरन रनियां, कानपुर देहात
में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 46,67,80,837.50/- (छियालिस करोड़, सटसठ लाख
हजार आठ सौ सैतीस रूपये पचास पैसे मात्र) की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन
ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104
एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में अविलम्ब जमा करें एवं जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय
मय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त न होने के स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की
हेतु, भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं
के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी

लेपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त
धनराशि का विवरण वृत्त-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
844, फतेहपुर रोसनाई, रनियाँ,
कानपुर देहात

Annexure - 8

पत्रांक 1829/78/A-96/20

दिनांक 28/05/20

सेवा में,

मै0 अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0,
खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात।
पंजीकृत कार्यालय-6/31-सी पावती बागला रोड, तिलक नगर,
कानपुर-208002

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-19/2020 अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मै0 अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0, द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के निस्तारण के सम्बंध में।

राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या- 985/2019 एवं 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में संयुक्त समिति की संस्तुति के क्रम में उद्योग मैसर्स अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात पर रूपये 39,98,57,850/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसे मैसर्स अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या- 19/2020 में चुनौती दी गयी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि ".....Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law....."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ता मैसर्स अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रत्यावेदन के माध्यम से बोर्ड के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता का संक्षिप्त कथन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-985-986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 में मा0 अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है एवं प्रत्यावेदनकर्ता ओ0ए0 संख्या-985-986/2019 में पक्षकार नहीं है, जिसके कारण उसके तथ्यों से वह परिचित नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 सम्बंधित व्यक्त के संज्ञान में लाये बिना जारी किया गया है। वर्ष 1976 से क्रोमियम का उचित भण्डारण न होने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 985-986/2019 एवं ओ0ए0 संख्या 200/2014 में विभिन्न आदेश पारित किये गये। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा अपना उद्योग दिनांक 03.03.1994 में स्थापित किया गया जिसका संचालन दिनांक 11.09.2001 से प्रारम्भ किया गया एवं 2005 में बन्द कर दिया गया। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 में वर्णित संयुक्त समिति की संस्तुति, नोटिस दिनांक 24.10.2019, स्टेट रिव्यू कमेटी की प्रोसीडिंग दिनांक 17.10.2019, क्षेत्रीय अधिकारी का पत्र दिनांक 22.10.2019 की प्रति प्रत्यावेदनकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया एवं उसे कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। पूर्व प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता उद्योग पर लगभग 45000 मी0टन क्रोमियम वेस्ट के आधार पर

जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित था। उद्योग वर्ष 2005 से बन्द है, वर्ष 2019 में उक्त हैजार्डस की मात्रा 62225 एम0टी0 दर्शाया जाना स्वयं में उओप्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत की वास्तविकता को दर्शाता है। बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की शक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है। बोर्ड द्वारा बिना अधिकारिता के कथित क्षतिपूर्ति पूर्वाग्रहण से ग्रसित होकर अधिरोपित की गयी है एवं प्रत्यावेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व प्रश्नगत उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1519/आर-130/2019 दिनांक 24.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का तथ्य अंकित है तथा 15 दिन में उद्योग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

इससे पूर्व वर्ष-2009 में भी खानचन्दपुर रनियां, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले प्रश्नगत उद्योग सहित कुल 06 उद्योगों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के उचित निस्तारण हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव संक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। किन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के रेमिडिएशन हेतु अपने पत्र सं0 B-29016/56(1)WM-I/NCEF(4)/2018/10340 दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से प्रेषित Detailed Project (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा लगभग 62,225 मी0टन आंकलित की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा रनियां, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्दपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हैक्सावैलेन्ट क्रोमियम के कारण प्रदूषित हुआ पाया गया है। प्रश्नगत उद्योग जिसकी उत्पादन क्षमता 3.0 मी0टन प्रतिदिन थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हैक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट को असुरक्षित ढंग से प्रश्नगत क्षेत्र में भण्डारित/डम्प किया गया। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62,225 मी0टन में, आपके उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार 14.28 प्रतिशत योगदान है।

प्रश्नगत उद्योग की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 में प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार्य किया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में क्रोमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाला उद्योग स्थापित व संचालित किया गया था एवं उक्त प्रत्यावेदन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार तथा कहाँ पर किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया गया है। खानचन्दपुर, रनियां क्षेत्र में कुल 06 क्रोमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाले उद्योग स्थापित होना एवं उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारित होना विवाद रहित है जिसका आंकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 में स्पष्ट रूप से किया गया है।

उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर 18 में वर्ष-2009 में भी अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 का कथन किया गया है। उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर-18 में वर्ष - 2009 में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के आधार पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव सूचित है जबकि वास्तव में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी के माध्यम से तैयार कराई गयी डी0पी0आर0 में उक्त भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62,225 मी0टन आंकलित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में दिनांक 07.08.2019 को आदेश परित किया गया कि ".....viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga....."

Scanned by CamScanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में, बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

मा0 न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ0ए0 सं0 200/2014, में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं-

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-985/2019 एवं ओ0ए0 सं0 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्मन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, सिद्धपुर एवं ग्राम-खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।" जिसका उल्लेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0 335(2)/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 19.10.2019 द्वारा जारी कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में जारी की गयी गाईडलाइन जो निम्नवत् है, को संज्ञान में लेते हुए मैसर्स अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q is noticed or observed quantity (in tone) of hazardous or other wastes have not been managed in compliance with various provision of the Acts/Rules/Guidelines/Conditions of the authorisation/direction issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violation which have not caused environmental damage) ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios, as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For hazardous Waste	For Other Waste*
	When hazardous and other wastes in disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party.	1.5	0.3
	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
	When product (derived from hazardous or other waste) is not confirming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules.2008)	0.1	0.05

* = Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के आधार पर द्वारा दिनांक 19.11.2019 को प्रश्नगत उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 39,98,57,850/- (उत्तालिस करोड़ अट्ठानवे लाख सत्तावन हजार आठ सौ पचास मात्र) में परिवर्तन अथवा अपास्त किये का आधार नहीं है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उद्योग मैसर्स अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०, चन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात पर पूर्व में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 39,98,57,850/- (उत्तालिस करोड़ अट्ठानवे लाख सत्तावन हजार आठ सौ पचास मात्र) की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता -701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में अविलम्ब जमा करें एवं जमा की गयी राशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त न होने के स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की हूली हेतु भू-राजस्व की भांति बसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उद्योग के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी

तिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



Annexure-9

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
844, फतेहपुर रोसनाई, रनियाँ,
कानपुर देहात

पत्रांक 1832/C6/20

दिनांक 28/05/2020

सेवा में,

मै0 चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0,
खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात।
पंजीकृत कार्यालय--24--वाइ--1, देवकी नगर,
कानपुर--20811

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-18/2020 चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मै0 चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के निस्तारण के सम्बंध में।

राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या- 985/2019 एवं 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में संयुक्त समिति की संस्तुति के क्रम में उद्योग मैसर्स चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात पर रुपये 39,98,57,850/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसे मैसर्स चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या- 18/2020 में चुनौती दी गयी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि ".....Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law.....".

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ता मै0 चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रत्यावेदन के माध्यम से बोर्ड के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता का संक्षिप्त कथन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-985-986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 में मा0 अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है एवं प्रत्यावेदनकर्ता ओ0ए0 संख्या-985-986/2019 में पक्षकार नहीं है, जिसके कारण उसके तथ्यों से वह परिचित नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 सम्बंधित व्यक्ति के संज्ञान में लाये बिना जारी किया गया है। वर्ष 1976 से कोमियम का उचित भण्डारण न होने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 985-986/2019 एवं ओ0ए0 संख्या 200/2014 में विभिन्न आदेश पारित किये गये। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा अपना उद्योग वर्ष 1994 में स्थापित किया गया जिसका संचालन 12.08.1999 से प्रारम्भ किया गया एवं 2005 में बन्द कर दिया गया। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 में वर्णित संयुक्त समिति की संस्तुति, नोटिस दिनांक 24.10.2019, स्टेट रिव्यू कमेटी की प्रोसीडिंग दिनांक 17.10.2019, क्षेत्रीय अधिकारी का पत्र दिनांक 22.10.2019 की प्रति प्रत्यावेदनकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया एवं उसे कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। पूर्व प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता उद्योग पर लगभग 45000 मी0टन कोमियम वेस्ट के आधार पर जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित था। उद्योग वर्ष 2005 से बन्द है, वर्ष 2019 में उक्त हैजार्डस की मात्रा 62225 एम0टी0 दर्शाया जाना स्वयं में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत की वास्तविकता को दर्शाता है। बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की शक्ति

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है। बोर्ड द्वारा बिना अधिकारिता के कथित क्षतिपूर्ति पूर्वाग्रहण से ग्रसित होकर अधिरोपित की गयी है एवं प्रत्यावेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व प्रश्नगत उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1518/आर-130/2019 दिनांक 24.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का तथ्य अंकित है तथा 15 दिन में उद्योग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

इससे पूर्व वर्ष-2009 में भी खानचन्दपुर रनियां, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले प्रश्नगत उद्योग सहित कुल 06 उद्योगों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के उचित निस्तारण हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। किन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के रेमिडिएशन हेतु अपने पत्र सं0 B-29016/56(1)WM-I/NCEF(4)/2018/10340 दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से प्रेषित Detailed Project (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा लगभग 62,225 मी0टन आंकलित की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा रनियां, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्दपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम के कारण प्रदूषित हुआ पाया गया है। प्रश्नगत उद्योग जिसकी उत्पादन क्षमता 3.0 मी0टन प्रतिदिन थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट को असुरक्षित ढंग से प्रश्नगत क्षेत्र में भण्डारित/डम्प किया गया। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62,225 मी0टन में आपके उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार 14.28 प्रतिशत योगदान है।

प्रश्नगत उद्योग की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 में प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार्य किया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में क्रोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाला उद्योग स्थापित व संचालित किया गया था एवं उक्त प्रत्यावेदन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार तथा कहां पर किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया गया है। खानचन्दपुर, रनियां क्षेत्र में कुल 06 क्रोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाले उद्योग स्थापित होना एवं उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारित होना विवाद रहित है जिसका आंकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 में स्पष्ट रूप से किया गया है।

उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर-17 में वर्ष-2009 में भी अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 का कथन किया गया है। उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर-17 में वर्ष - 2009 में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के आधार पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव सूचित है जबकि वास्तव में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी के माध्यम से तैयार कराई गयी डी0पी0आर0 में उक्त भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62,225 मी0टन आंकलित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में दिनांक 07.08.2019 को आदेश परित किया गया कि ".....Viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

Scanned by CamScanner

मा0 न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ0ए0 सं0 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं—

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-985/2019 एवं ओ0ए0 सं0 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम-खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डग्न किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।" जिसका उल्लेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0 335(2)/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 19.10.2019 द्वारा जारी कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में जारी की गयी गाईडलाईन जो निम्नवत् है, को संज्ञान में लेते हुए मैसर्स चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q is noticed or observed quantity (in tone) of hazardous or other wastes have not been managed in compliance with various provision of the Acts/Rules/Guidelines/Conditions of the authorisation/direction issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violation which have not caused environmental damage) ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes in disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party.	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not confirming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules.2008)	0.1	0.05

R = Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के आधार पर द्वारा दिनांक 19.11.2019 को प्रश्नगत उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 39,98,57,850/- (उत्तालिस करोड़ अट्ठानवे लाख सत्तावन हजार आठ सौ पचास मात्र) में परिवर्तन अथवा अपारत किये का आधार नहीं है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 उपरोक्तानुसार निरतारित किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उद्योग मैसर्स चांदनी केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर त पर पूर्व में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 39,98,57,850/- (रू० उत्तालिस करोड़ अनवे लाख सत्तावन हजार आठ सौ पचास मात्र) की धनराशि को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती, नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०--701502010002104 ०एफ०एस० कोड--UBIN0570150 में अविलम्ब जमा करें एवं जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय मालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त न होने के स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की ली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एव उद्योग के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी

तेलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सदस्य सचिव, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी प्रभारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner



Annexure-10

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
844, फतेहपुर रोसनाई, रनियाँ,
कानपुर देहात

पत्रांक 1833/11-23/20

दिनांक 28/05/20

सेवा में,

मै0 हिल्जर्स केम प्रा0लि0,
ग्राम चिरौरा रायपुर, खानचन्दपुर रनियाँ,
कानपुर देहात।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-22/2020 हिल्जर्स हेम प्रा0लि0, बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मै0 हिल्जर्स हेम, द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के निस्तारण के सम्बंध में।

राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या- 985/2019 एवं 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में संयुक्त समिति की संस्तुति के क्रम में उद्योग मैसर्स हिल्जर्स हेम प्रा0लि0, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात पर रुपये 53,34,23,812.50/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसे मैसर्स हिल्जर्स हेम प्रा0लि0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या- 22/2020 में चुनौती दी गयी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि ".....Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law....."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ता मैसर्स हिल्जर्स हेम प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रत्यावेदन के माध्यम से बोर्ड के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता का संक्षिप्त कथन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-985-986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 में मा0 अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है एवं प्रत्यावेदनकर्ता ओ0ए0 संख्या-985-986/2019 में पक्षकार नहीं है, जिसके कारण उसके तथ्यों से वह परिचित नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 समन्वित व्यक्ति के संज्ञान में लाये बिना जारी किया गया है। वर्ष 1976 से क्रोमियम का उचित भण्डारण न होने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 985-986/2019 एवं ओ0ए0 संख्या 200/2014 में विभिन्न आदेश पारित किये गये। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा अपना उद्योग वर्ष 1994 में स्थापित किया गया जिसका संचालन वर्ष 2005 से प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 07.02.2005 से बन्द कर दिया गया। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 में वर्णित संयुक्त समिति की संस्तुति, नोटिस दिनांक 24.10.2019, स्टेट रिव्यू कमेटी की प्रोसीडिंग दिनांक 17.10.2019, क्षेत्रीय अधिकारी का पत्र दिनांक 22.10.2019 की प्रति प्रत्यावेदनकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया एवं उसे कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। पूर्व प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता उद्योग पर लगभग 45000 मी0टन क्रोमियम वेस्ट के आधार पर जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित था। उद्योग वर्ष 2005 से बन्द है, वर्ष 2019 में उक्त हैजार्ड्स की मात्रा 62225 एम0टी0 दर्शाया जाता स्वयं में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत की वास्तविकता को दर्शाता है। बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित

पर्यावरण का शावत राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है। बोर्ड द्वारा बिना अधिकारिता के कथित क्षतिपूर्ति पूर्वाग्रहण से ग्रसित होकर अधिरोपित की गयी है एवं प्रत्यावेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व प्रश्नगत उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1520/आर-130/2019 दिनांक 24.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का तथ्य अंकित है तथा 15 दिन में उद्योग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

इससे पूर्व वर्ष-2009 में भी खानचन्दपुर रनिया, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले प्रश्नगत उद्योग सहित कुल 06 उद्योगों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के उचित निस्तारण हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। किन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के रेमिडिएशन हेतु अपने पत्र सं0 B-29016/56(1)WM-I/NCEF(4)/2018/10340 दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से प्रेषित Detailed Project (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा लगभग 32,225 मी0टन आंकलित की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा रनियाँ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्दपुर, उमरन, कतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौखहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम के कारण प्रदूषित हुआ पाया गया है। प्रश्नगत उद्योग जिसकी उत्पादन क्षमता 40 मी0टन प्रतिदिन थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट को असुरक्षित ढंग से प्रश्नगत क्षेत्र में भण्डारित/डम्प किया गया। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62,225 मी0टन में आपके उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार 19.05 प्रतिशत योगदान है।

प्रश्नगत उद्योग की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 में प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा स्वयं यह वीकार्य किया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में क्रोमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाला उद्योग स्थापित संचालित किया गया था एवं उक्त प्रत्यावेदन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार तथा कहाँ पर किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया गया है। खानचन्दपुर, रनियाँ क्षेत्र में कुल 06 क्रोमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाले उद्योग स्थापित होना एवं उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारित होना विवाद रहित है जिसका आकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 में स्पष्ट रूप से किया गया है।

उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर 17 में वर्ष-2009 में भी अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 का कथन किया गया है। उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर-17 में वर्ष - 2009 में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के आधार पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव सूचित है जबकि वास्तव में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी के माध्यम से पार कराई गयी डी0पी0आर0 में उक्त भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62,225 मी0टन आंकलित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में दिनांक 08.2019 को आदेश परित किया गया कि ".....VIII) Other directions including displaying water quality data public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

मा0 न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ0ए0 सं0 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं-

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-985/2019 एवं ओ0ए0 सं0 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम-खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।" जिसका उल्लेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0 335(2)/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 19.10.2019 द्वारा जारी कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में जारी की गयी गाईडलाइन जो निम्नवत् है, को संज्ञान में लेते हुए मैसर्स हिल्जर्स हेम प्रा0लि0, खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q is noticed or observed quantity (in tone) of hazardous or other wastes have not been managed in compliance with various provision of the Acts/Rules/Guidelines/Conditions of the authorisation/direction issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violation which have not caused environmental damage) ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes in disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party.	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not confirming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules.2008)	0.1	0.05

R = Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के आधार पर द्वारा दिनांक 19.11.2019 को प्रश्नगत उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 53,34,23,812.50/- (तिरपन करोड़ चौतिस लाख तेइस हजार आठ सौ बारह रूपये पचास पैसे मात्र) में परिवर्तन अथवा स्त किये जाने का आधार नहीं है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 उपरोक्तानुसार निस्तारित जा जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उद्योग मैसर्स हिल्जर्स हेम प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर, रनियां, कानपुर देहात पूर्व में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 53,34,23,812.50/- (तिरपन करोड़ चौतिस लाख तेइस हजार आठ सौ बारह रूपये पचास पैसे मात्र) की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस० ड-UBIN0570150 में अविलम्ब जमा करें एवं जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य-क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड ब्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त न होने के स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की मूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उद्योग के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

Annexure-11

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

844, फतेहपुर रोसनाई, रनियाँ,
कानपुर देहात

पत्रांक

1830/R-149/20

दिनांक 28/05/20

सेवा में

मै0 रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0,
आराजी -1451-1454, विसायकपुर, अकबरपुर,
कानपुर देहात।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-20/2020 रूकमणि केमिकल्स लि0, बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मै0 रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0, द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 05.02.2020 के निस्तारण के सम्बंध में।

राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या- 985/2019 एवं 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में संयुक्त समिति की संस्तुति के क्रम में उद्योग मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0, रनियाँ, कानपुर देहात पर रूपये 46,67,80,837.50/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसे मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या- 20/2020 में चुनौती दी गयी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि ".....Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law....."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ता मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 05.02.2020 को प्रत्यावेदन के माध्यम से बोर्ड के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता का संक्षिप्त कथन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-985-986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 में मा0 अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है एवं प्रत्यावेदनकर्ता ओ0ए0 संख्या-985-986/2019 में पक्षकार नहीं है, जिसके कारण उसके तथ्यों से वह परिचित नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 सम्बंधित व्यक्ति के संज्ञान में लाये बिना जारी किया गया है। वर्ष 1976 से क्रोमियम का उचित भण्डारण न होने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 985-986/2019 एवं ओ0ए0 संख्या 200/2014 में विभिन्न आदेश पारित किये गये। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा अपना उद्योग दिनांक 11.08.1995 में स्थापित किया गया जिसका संचालन वर्ष 09.03.1998 से प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 31.03.2004 से बन्द कर दिया गया। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 में वर्णित संयुक्त समिति की संस्तुति, नोटिस दिनांक 24.10.2019, स्टेट रिव्यू कमेटी की प्रोसीडिंग दिनांक 17.10.2019, क्षेत्रीय अधिकारी का पत्र दिनांक 22.10.2019 की प्रति प्रत्यावेदनकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया एवं उसे कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। पूर्व प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता उद्योग पर लगभग 45000 मी0टन क्रोमियम वेस्ट के आधार पर जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित था। उद्योग वर्ष 2005 से बन्द है, वर्ष 2019 में उक्त हैजार्डस की मात्रा 62225 एम0टी0 दर्शाया जाना स्वयं में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत की वास्तविकता को दर्शाता है। बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय

क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की शक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है। बोर्ड द्वारा बिना अधिकारिता के कथित क्षतिपूर्ति पूर्वाग्रहण से ग्रसित होकर अधिरोपित की गयी है एवं प्रत्यावेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व प्रश्नगत उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1521/आर-130/2019 दिनांक 24.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का तथ्य अंकित है तथा 15 दिन में उद्योग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

इससे पूर्व वर्ष-2009 में भी खानचन्दपुर रनियां, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले प्रश्नगत उद्योग सहित कुल 06 उद्योगों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के उचित निस्तारण हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। किन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के रेमिडिएशन हेतु अपने पत्र सं0 B-29016/56(1)WM-I/NCEF(4)/2018/10340 दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से प्रेषित Detailed Project (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा लगभग 62,225 मी0टन आंकलित की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा रनियां, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्दपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम के कारण प्रदूषित हुआ पाया गया है। प्रश्नगत उद्योग जिसकी उत्पादन क्षमता 3.5 मी0टन प्रतिदिन थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट को असुरक्षित ढंग से प्रश्नगत क्षेत्र में भण्डारित/डम्प किया गया। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62,225 मी0टन में आपके उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार 16.67 प्रतिशत योगदान है।

प्रश्नगत उद्योग की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 में प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार्य किया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में क्रोमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाला उद्योग स्थापित व संचालित किया गया था एवं उक्त प्रत्यावेदन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार तथा कहाँ पर किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया गया है। खानचन्दपुर, रनियां क्षेत्र में कुल 06 क्रोमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाले उद्योग स्थापित होना एवं उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारित होना विवाद रहित है जिसका आंकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 में स्पष्ट रूप से किया गया है।

उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर-17 में वर्ष-2009 में भी अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 का कथन किया गया है। उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर-17 में वर्ष - 2009 में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के आधार पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव सूचित है जबकि वास्तव में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी के माध्यम से तैयार कराई गयी डी0पी0आर0 में उक्त भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62,225 मी0टन आंकलित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में दिनांक 07.08.2019 को आदेश परित किया गया कि ".....VIII) Other directions including displaying water quality data in public domain, and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

भा0 न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ0ए0 सं0 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये है-

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

भा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-985/2019 एवं ओ0ए0 सं0 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उत्तरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम-खानचन्दपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।" जिसका उल्लेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0 335(2)/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 19.10.2019 द्वारा जारी कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में जारी की गयी गाईडलाईन जो निम्नवत् है, को संज्ञान में लेते हुए मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0, रनियां, कानपुर देहात पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q is noticed or observed quantity (in tone) of hazardous or other wastes have not been managed in compliance with various provision of the Acts/Rules/Guidelines/Conditions of the authorisation/direction issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violation which have not caused environmental damage) ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes in disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party.	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not confirming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules.2008)	0.1	0.05

R = Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 05.02.2020 के आधार पर उद्योग द्वारा दिनांक 19.11.2019 को प्रश्नगत उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये रूपये 67,80,837.50/- (छियालिस करोड़, सठसठ लाख अस्सी हजार आठ सौ सैतीस रूपये पचास पैसे मात्र) में रिवर्तन अथवा अपास्त किये जाने का आधार नहीं है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 को अवतानुसार निस्तारित किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उद्योग मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा० लि० एनिसा, कानपुर, देहात पर उद्योग में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 46,67,80,837.50/- (छियालिस करोड़, सठसठ लाख अस्सी हजार आठ सौ सैतीस रूपये पचास पैसे मात्र) की धनराशि को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनिट नं० ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई० एफ० एस० कोड-UBIN0570150 में अविलम्ब जमा करें एवं जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त न होने के स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उद्योग के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी

तिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सदस्य सचिव, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी प्रभारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

फ. सं. 149653 (सा-2/NGT-46/2020)
f. No.

दिनांक 5-6-2020
Date

महत्वपूर्ण

सेवा में,

श्री बी विनोद बाबू,
एडिशनल डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली।

विषय- खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के टी0एस0डी0एफ0 में सुरक्षित निस्तारण हेतु तैयार किये गये ऐक्शन प्लान के अनुमोदन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनिशन-ऑफ इण्डिया व अन्य में प्रारित आदेश दिनांक 22.08.2019 के अनुपालन में खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट ऐक्शन प्लान को पत्र दिनांक 31.01.2020 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्रांक B-29016/WM-I/C-14(NGT)/2019/12867 Dated 11.03.2020 द्वारा ड्राफ्ट ऐक्शन प्लान में अपेक्षित संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों को समाहित करने के उपरान्त संशोधित ऐक्शन प्लान की प्रति संलग्न कर सैद्धान्तिक अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया शीघ्र अनुमोदन प्रदान करना चाहें ताकि तदनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया जा सके।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

सी. -12 वी. विभूति खण्ड, गमती नगर,
लुकरा - 226 010
भाष : 0522-2720828, 2720831
फ़ : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com

Hindi letter head
T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gamti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com